RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रू0 30 सितम्बर, 2014 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 11, अंक : 4

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ !

हम आशा करते है कि आप दशहरा, दीपावली व ईद के त्योहार बड़ी हँसी–खुशी से सपरिवार मनायेंगे।

समस्त शीतगृह उद्योग के लिए यह सारे पर्व बहुत मगंलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं।

जब तक हमारी पत्रिका आपके हाथों तक पहुँचेगी सितम्बर का माह समाप्त हो चुका होगा। सितम्बर माह तक आलू की गति देखने से पता लगता है कि आलू के भाव में कोई कमी नहीं आई है बल्कि थोड़ी थोड़ी बढ़ोत्तरी की ओर ही आलू चल रहा है। इस दशा में भी आलू के बाजार भाव में गिरावट की आशंका व्यक्त नहीं की जा रही है। इसके दो मुख्य कारण आँके जा रहे हैं। प्रथम तो यह कि इस वर्ष आलू की बुआई काफी बड़े पैमाने पर हो रही है। आलू में बड़े हुए मुनाफे से आकर्षित होकर, व अन्य फसलों से होने वाली हानि को देखकर, किसान आलू की बुआई की ओर आकर्षित हो रहा है। इस कारण से बीज आलू का खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है और यह भी कि बीज आलू के किसी भी रूप मे खाने वाले आलू के रूप मे बिकने की कोई संभावना नहीं है उल्टे कुछ जगहों पर तो मजबूरी में खाने वाला आलू भी बीज के रूप में उपयोग करने के लिए किसान मजबूर हो सकता है।

दूसरा कारण यह है कि वर्षा जो कि अगस्त माह के अन्त तक बन्द हो जाती थी इस वर्ष बढ़कर सितम्बर तक चालू रही है जिससे आलू की बुआई दस से पन्द्रह दिन लेट हो गई है। इस कारण नए आलू की आवक भी दस से पन्द्रह दिन लेट हो जायेगी।

हम सिर्फ बताना चाहते है कि आलू भण्डारणकर्ता किसी प्रकार घबराए नहीं परन्तु साथ–साथ हर भाव पर अपना आलू अवश्य बेचते रहें। भविष्य को कोई नहीं देख पाया है।

प्रदूषण सम्बन्धी :

प्रदूषण से सम्बन्धित नियमों के पालन के लिए हमें यह पत्र प्राप्त हुआ है जिसे हम अपने सदस्यों के संज्ञान में लाना अनिवार्य समझते हैं। क्योंकि पत्र काफी विस्तार से है अतः इस पर हमारी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं पढ़कर निर्णय ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पर्यावरण भवन', टी.सी.–12 बी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

संदर्भ संख्या : 48914/सी–4/सा.–12/2014 दिनांक 15.9.2014

सेवा में,

श्री जी.एस. धीरानी
जनरल सेक्रेटरी
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन,
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज उद्योगों सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से कोल्ड स्टोरेज को उपरोक्त सन्दर्भित अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किए जाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले नोटिस के क्रम में आपके सदस्य कोल्ड स्टोरेज इकाईयों/जनपद स्तरीय एसोसिएशन द्वारा निवेश नीति 2012 की फोटो प्रति एवं उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जारी पत्र दिनांक 15.10.2012 की छाया प्रति संलग्न करते हुए अपने पत्र में उल्लिखित किया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज को प्रदूषण अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है।

जिसके कारण कोल्ड स्टोरेज इकाईयों को सहमति जल एवं सहमति हेतु आवेदन नहीं किया जा रहा है तथा उपरोक्त अधिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किए बिना ही उत्प्रवाह का निस्तारण एवं गैसीय उत्सर्जन किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि कोल्ड स्टोरेज हरी श्रेणी (अप्रदूषणकारी) के उद्योगों की सूची में सम्मिलित है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित की धारा 21 के अन्तर्गत समस्त उद्योगों को राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उ.प्र. सरकार की अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत अप्रदूषणकारी उद्योगों हेतु सहमति लिये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए अप्रदूषणकारी प्रकृति के उद्योगों की सहमति अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किए जाने सम्बन्धी निर्णय लिया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.03.2013 के साथ संलग्न कार्यसूची संख्या 87.03 के क्रम संख्या 3.1.3–3 पर अंकित किया गया है (संलग्नक–1)।

बोर्ड मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या जी 15480/32/2013/23, दिनांक 15.04.2013 एवं पत्र संख्या जी 16266/सी.ई.ओ. (ए) कैम्प/जी.जी./2013, दिनांक 30.07.2013 द्वारा जारी आदेश पत्र के साथ संलग्न है (संलग्नक–2)। उक्त आदेश द्वारा हरी श्रेणी के उद्योगों को सहमति एक साथ 05 वर्ष की अवधि तक की सहमति दिये जाने का आदेश जारी किया गया है तथा यह भी उल्लिखित किया गया है कि जितनी अवधि की सहमति आवेदित की जाती है उतनी अवधि की निर्धारित शुल्क एक साथ देय होगा।

बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 11705/सी–3/विविध–73/निवेश मित्र/09–12, दिनांक 15.10.2012 (संलग्नक–3) द्वारा प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत घोषित संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित प्रदूषण विहीन उद्योगों में 5 के.वी.ए. की अधिक क्षमता के स्टैण्डर्ड वाई व्यवस्था के रूप में जनरेटर उपयोग करने की दशा में पृथक से अनापत्ति प्रमाण पत्र किए जाने की प्रक्रिया से मुक्त किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश में उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया से मुक्त किए जाने सम्बन्धी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट है कि औद्योगिक अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत अप्रदूषणकारी उद्योगों को स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र किए जाने तथा प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया से मुक्त किए जाने सम्बन्धी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

उपरोक्त आदेशों से स्पष्ट है कि औद्योगिक अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अन्तर्गत अप्रदूषणकारी उद्योगों को स्थापित किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने तथा प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत घोषित संवेदनशील क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में स्थापित प्रदूषण विहीन उद्योगों में 5 के.वी.ए. की अधिक क्षमता के स्टैण्ड वाई व्यवस्था के रूप में जनरेटर उपयोग करने की दशा में पृथक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया से मुक्त रखा गया है।

अवगत कराना है कि कोल्ड स्टोरेज हरी श्रेणी/अप्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी का उद्योग है जिसे राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि समस्त कोल्ड स्टोरेज इकाईयों/जनपद स्तरीय एसोसिएशन को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करने तथा राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त कर ही उत्प्रवाह का निस्तारण एवं गैसीय उत्सर्जन किये जाने हेतु अपनी सदस्य इकाईयों/एसोसिएशन को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

ह0/–

(जे.एस. यादव)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त वृत्त अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ
2. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड।

भवदीय

ह0/–

(जे.एस. यादव)

सदस्य सचिव

डायरेक्ट्री सम्बन्धी :

कृपया ध्यान दें कि फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया की डायरेक्ट्री जिसे कि कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश हर दूसरे साल छपवाती है वर्ष 2013 में छपवाई गई थी। वर्ष 2015 में पुनः इसका प्रकाशन किया जायेगा। क्योंकि यह एक बहुत लम्बा कार्य होता है अतः इसकी तैयारी हमें एक वर्ष पहले से करनी होती है। इस डायरेक्ट्री में हम देश भर के शीतगृहों के नाम, पते, टेलीफोन व मोबाइल नम्बर व अन्य सूचनाएँ प्रकाशित करने का प्रयत्न करते हैं जिससे कि कभी भी किसी के द्वारा उन शीतगृहों से संपर्क किया जा सके। पूरे शीत उद्योग में केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों में व शीतगृह स्वयं में इस डायरेक्ट्री की प्रशंसा हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे प्राप्त करना चाह रहे हैं।

हमारा प्रयत्न रहता है कि उसे अधिक से अधिक लाभदायक बनाया जाए। इसके लिए यह जरूरी है कि इसमें सही सूचना प्रकाशित करी जाये लेकिन सही सूचना प्रकाशित करने में हमारे सामने कई कठिनाइयाँ आ रही हैं। हम अपने समस्त पाठकों से व विशेषतः कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के सदस्यों से व अन्य प्रदेशीय शीतगृह एसोसिएशन के सदस्यों से यह अनुरोध करते हैं कि वह हमारे इस कार्य में सहयोग करें। इस सहयोग में हमें आपकी ओर से नीचे दिये गये बिन्दुओं की विशेष आवश्यकता रहेगी :–

1. उन शीतगृहों के नाम व पते जो वर्ष 2014 तक पूर्ण रूप से बन्द हो गए हों और आगे किसी भी तरह न चलने की अवस्था में हों लेकिन उनका नाम वर्ष 2013 की डायरेक्ट्री में छप गया हो। अगली डायरेक्ट्री में हम उनके नाम काट देंगे।
2. अनेक शीतगृहों के पत्राचार के पते बदल गए होते है व संपर्क व्यक्ति का नाम बदल गया होता है अतः आप यह अवश्य चेक कर लें कि पुरानी डायरेक्ट्री में आपके शीतगृह के आगे आप का सही विवरण दिया है कि नहीं। यदि नहीं तो सही क्या है लिखिए। इसमें यह देखने योग्य अत्यन्त आवश्यक है कि आपका मोबाइल नम्बर सही हो और ई–मेल पता यदि नहीं दिया है तो अवश्य दें और सही–सही दें। वर्ष 2015 से हम शीतगृहों से सपंर्क केवल ई–मेल द्वारा ही कर सकेंगे साधारण डाक द्वारा नहीं। इसलिए ई–मेल का सही पता होना अत्यन्त आवश्यक है। हम पाते है कि अनेक शीतगृहों के मोबाइल नम्बर भी गलत छपे हुए हैं। कृपया उन्हे अवश्य चेक कर लें और यह सारी सूचना नीचे दिए प्रारूप में शीघ्र–अति–शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

इस डायरेक्ट्री में यदि आप संपर्क व्यक्ति की फोटो भी छपवाते है तो आपको व अन्य सदस्यों को अच्छा लगता है। कृपया अपनी नई फोटो भी भेजने का कष्ट करें। जिनके नए फोटो नहीं आयेंगे तो हम समझेंगे कि पुराने छपे हुए फोटो ही उन्हें मंजूर है और हम मजबूर होकर पुराने फोटो ही छाप देंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुराने फोटो दोबारा छापने पर छपाई के अच्छे परिणाम नहीं आते। प्रारूप पृष्ठ 10 पर दिया है।

डायरेक्ट्री 2013

फोटो के पीछे अपेना नाम व शीतगृह का नाम लिख दें।

1. शीतगृह का नाम : ....

....

2. शीतगृह का पता : ....

....

3. वह पता जिस पर पत्र व्यवहार चाहते हों :..

....

....

4. शीतगृह की क्षमता कुन्तल में :..

5. कृषि उत्पाद जो भण्डारित करते हों :..

....

6. एस.टी.डी. कोड/टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर : ....

7. ई–मेल पता :..

8. मुख्य सम्पर्क व्यक्ति का नाम जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर/पार्टनर/मैनेजर आदि ....

....

....

नोट : हमसे तुरन्त सम्पर्क के लिए व हमसे तुरन्त उत्तर प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता अवश्य लिखें।

बाम्बे मीटिंग के सम्बन्ध में :

हमने अपने पिछले माह की पत्रिका में आपको बाम्बे मीटिंग के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। हमने इसमें यह लिखा था कि सदस्यों के ठहरने के लिए व्यवस्था देख रहे हैं जिससे कि हमारे सदस्यों को बाम्बे पहुँच कर होटल तलाशने की असुविधा न हो। इसमें हमें दो होटल बताए गये हैं :–

1. **Hotel Solitaire**

   Near Domestic & International Airport, Opp. Apt. Colony, New Sanjay Nagar,
   Sahar Road, Chakala, Andheri (East) Mumbai-99
   Website : www.solitairehotel.com

2. **Residency Sarovar Portico**

   Opposite Techniplex, Off. SV Road, Goregaon (West) Mumbai 400062
   Website : http://residency sarovar.com

यह दोंनो आस पास के क्षेत्र में ही है जहाँ कि मीटिंग होनी है। इसमें होटल Solitaire का भाड़ा 3992 रूपए मय टैक्स प्रति कमरा, प्रति रात्रि, दो व्यक्तियों के लिए आता है जिसमें ब्रेकफास्ट शामिल होगा व Residency Sarovar Portico का भाड़ा 5284 रूपए प्रति कमरा, प्रति रात्रि, आता है। आप जिस होटल में चाहे कमरे बुक कर सकते हैं। यदि आप सीधा होटल से भी संपर्क कर लें तो उन्हें यह बता दें कि आप 10/11/12 दिसम्बर, 2014 की कोल्ड स्टोरेज की मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं। आप अपने पसन्द के होटल के नाम चेक बनाकर हमें भी भेज सकते है, हम फिर उसे होटल को भेज देंगे।

यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हमारे पास कुल दोंनो होटलों मे पचास कमरे हैं और शीतगृहों की माँग कमरों के लिए बराबर आ रही है, यदि आपको बाम्बे जाना है तो अपना हवाई जहाज/रेल टिकट फौरन बुक कर लें और साथ ही कमरे भी बुक करा लें।

इस मीटिंग के दिनों में प्रोग्राम कुछ इस तरह रहेगाः–

दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

बम्बई में जहाँ पर हमारी मीटिंग है वहीं पर इण्डिया कोल्ड चेन शो 2014 द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है जो प्रातः 10 बजे से शुरू हो जायेगी। शाम को 7.30 बजे फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया द्वारा कुछ चुने हुए शीतगृहों को अवार्ड दिए जायेंगे। इसके बाद रात में 8.00 बजे कॉकटेल व डिनर को आयोजन किया गया है।

दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

प्रदर्शनी प्रातः 10.00 बजे शुरू होगी। प्रदर्शनी में 1.00 बजे दोपहर लंच होगा। दोपहर 2.00 बजे से 5.30 बजे सायं तक फेडरेशन की मीटिंग होगी। उसके बाद रात को डिनर का आयोजन किया गया है।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2014

ब्रेकफास्ट के बाद यदि आप चाहे तो प्रदर्शनी देखने के लिए रुक सकते है। इस दिन प्रदर्शनी सायं 5.00 बजे तक चलेगी। इस दिन हमारी ओर से कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

कृपया ध्यान दें कि यदि आप 10 दिसम्बर, 2014 को लंच टाइम से पहले बाम्बे पहुँच जाते है तो लंच का इन्तजाम किया गया है। आप अपने पहुँचने की सूचना श्री प्रशान्त नारायन को लिखित भेज दें। उनका पता निम्न प्रकार है :–

संपर्क

श्री प्रशान्त नारायन

मोबाइल : 09899622090 ई–मेल : prashantnarain09@gmail.com या

prashant.narain@reedmanch.com या www.indiacoldchainshow.com

Reed Manch Exhibitions Pvt. Ltd.

A-78, First Floor, Sector-4, NOIDA 201301 Uttar Pradesh

Telephone: 0120-4273921, 4334111

विद्युत सम्बन्धी : स्वतन्त्र पोषक (Independent Feeder)

यदि आपके पास उपरोक्त फीडर है जो कि शीतगृहों के लिए ही बनाया गया है उस पर अन्य उद्योगों का कनेक्शन व अन्य उपभोक्ताओं का कनेक्शन बगैर आपकी सहमति के नहीं लगाया जा सकता। यह नियम उत्तर प्रदेश विद्युत सप्लाई कोड में बिलकुल स्पष्ट दिया है लेकिन इधर बिजली कम्पनिया इस नियम की खुली अवहेलना करने लगी थी जिस पर कुछ उपभोक्ताओं ने स्टेट एपैलेट कमीशन – State Apellate Commission को अपने केस को प्रस्तुत करा। इस अपील नम्बर 101 का फैसला 6 मई, 2011 को आया जिसमें स्पष्ट करा गया है कि सप्लाई कोड के नियम की अवेहलना नहीं की जा सकती।

अतः यह नियम दिखा कर आप अपनी स्वतन्त्र पोषक (Independent Feeder) पर अन्य किसी उपभोक्ता के कनेक्शन को हटवा सकते हैं। कई जगह तो छोटे–छोटे कस्बों के कनेक्शन लगा दिए

गए है। इसमें विद्युत सप्लाई में बहुत बाधा होती है और शीतगृहों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है।

लोड फैक्टर रिबेट के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि अभी तक बिजली कम्पनी लोड फैक्टर रिबेट उन्हीं उपभोक्ताओं को देती थी जिनकी अतिरिक्त प्रतिभूति (Additional Security) भी पूरी तरह जमा की जा चुकी हो। अगर Additional Security में कोई कमी रह गई है तो यह बकाया धनराशि के रहते हुए लोड फैक्टर रिबेट देय नहीं माना जाता था। अब एक फैसला आया है जिसके अन्तर्गत लोड फैक्टर को बिल में बकाया धनराशि के आधार पर नहीं रोका जा सकता। यहाँ पर हम आपकी सुविधा के लिए दोंनो आदेश प्रकाशित कर रहे हैं। पहले में यह आदेश दिया गया है कि अगर अतिरिक्त प्रतिभूति का रूपया बकाया है तो लोड फैक्टर रिबेट न दिया जाए और दूसरे में यह बतया गया है कि माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय के अनुसार बकाया धनराशि के रहते हुए लोड फैक्टर रिबेट रोका नहीं जा सकता। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है इससे शीतगृहों को काफी लाभ पहुँचेगा।

पत्र सं. : 972/वा.स्क.(वि.प्र.) जी 13 दिनांक 23.07.2014

विषय : औद्योगिक उपभोक्ताओं के लोड फैक्टर रिबेट का भुगतान करते समय अवशेष अतिरिक्त सिक्योरिटी धनराशि की गणना बकाया धनराशि (Arrear) में किये जाने के सम्बन्ध में

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/केस्को
विद्युत वितरण निगम लि.
मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/कानपुर

तत्काल/महत्वपूर्ण

उपर्युक्त विषयक पत्रांक 816/वा.स्क.(वि.प्र.)/Gen. file 13 दिनांक 10.06.2014 द्वारा निर्गत आदेश की याचिका सं. सी–7764/2011, मे.के.एल. कानकास्ट प्रा.लि. बनाम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. एवं अन्य में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.02.2011 के आलोक में विचारोपरान्त एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

ह0/–
(ए.पी. मिश्र)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र सं. : 816/वा.स्क.(वि.प्र.) Gen. file 13 दिनांक 10.06.2014

विषय : औद्योगिक उपभोक्ताओं के लोड फैक्टर रिबेट का भुगतान करते समय अवशेष अतिरिक्त सिक्योरिटी धनराशि की गणना बकाया धनराशि (Arrear) में किये जाने के सम्बन्ध में

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल/मध्यांचल/केस्को
विद्युत वितरण निगम लि.
मेरठ/आगरा/वाराणसी/लखनऊ/कानपुर

तत्काल/महत्वपूर्ण

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ औद्योगिक उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा न करके प्रीपेड मीटर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 की धारा–420 के अन्तर्गत मा. उच्च न्यायालय से अतिरिक्त प्रतिभूति राशि पर स्टे आर्डर प्राप्त कर लिया है। इस सम्बन्ध में उ.प्र. नियामक आयोग के आदेश दिनांक 20.08.2007 द्वारा इन उपभोक्ताओं को लोड फैक्टर रिबेट भुगतान करते समय अतिरिक्त प्रतिभूति राशि की गणना अवशेष एरियर मानकर किये जाने का प्राविधान है।

अतः अनुरोध करना है कि औद्योगिक उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में विद्युत भार कम/ज्यादा की स्वीकृति, आपूर्ति वोल्टेज उच्चीकृत करते समय अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि का भुगतान लेने के साथ–साथ लोड फैक्टर रिबेट देते समय अतिरिक्त प्रतिभूति धनराशि को अवशेष बकाया एरियर मानकर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिसके लिए अपने स्तर से भी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

ह0/–
(ए.पी. मिश्र)
प्रबन्ध निदेशक

आलू भी है फायदेमंद :

श्री हसंमुख जैन गांधी, गांधी कोल्ड स्टोरेज, इन्दौर सचिव, मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने हमें आलू सम्बन्धी यह समाचार भेजा है जो कि बहुत दिलचस्प है और आलू की बिक्री में मदद भी करेगा :–

'आलू खाने से मोटापा होता है। या इसे खाना डायबिटीज के मरीजों के लिए हानिकारक है।' ये कुछ ऐसी धारणा है जिससे आलू की गिनती हेल्दी फूड में नहीं की जाती। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आलू में कई ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। हाँ, इतना जरूर है कि इसे संयमित मात्रा में ही खाना चाहिए। जानते हैं आलू में छिपे पौष्टिक तत्वों के बारे में :–

पोटैशियम : लो ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए यह जरूरी है। आलू में भरपूर मात्रा में पोटैशियम पाया जाता है।

फाइबर : छिलके सहित आलू खाने से आपको 7 ग्राम फाइबर मिलता है, जबकि छिलका निकालने से फाइबर महज 1 ग्राम बचता है। फाइबर हार्ट अटैक का खतरा कम करता है।

विटामिन सी : संतरे की तरह बिना छीलकर आलू को खाया जाए तो यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है।

मैगनीज : प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की प्रोसेसिंग में मैगनीज शरीर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। बिना छीले आलू में यह प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है।

विटामिन बी–6 : अमेरिकन डायटिक एसोसिएशन के प्रवक्ता डी सेंडक्विस्ट कहते हैं कि विटामिन बी–6 का अच्छा स्रोत है आलू। इससे इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डिवेस्कुलर सिस्टम और पाचन तंत्र को नियंत्रित रखता है।

कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund) के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि भारत सरकार ने प्राविडेन्ट फंड के लिए अधिकतम वेतन की सीमा 6500 रूपए से बढ़ाकर 15000 रूपए कर दी है। अतः अब 15000 रूपए वेतन पाने वाले कर्मचारी तक प्राविडेन्ट फंड स्कीम में शामिल माने जायेंगे। आपके सदर्भ के लिए सरकार का आदेश यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं :–

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

श्रम मंत्रालय भारत सरकार

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour, Govt. of India)

भविष्य निधि भवन, 14–भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

No. Co-ord/3(6)2011/Amendment Scheme/13637 Date : 28.08.2014

To,

All Additional CPFCs (Zones)
All Regional PF Commissioners
In-Charge of Regional/Sub Regional Offices

Subject : Gazette Notification on enhancement of statutory wage ceiling to Rs. 15,000/- minimum pension of Rs. 1,000/- per month and 20% additional relief on the amount of assurance benefit admissible under EDLI Scheme, 1976 - regarding

Sir,

Instruction were issued vide Head Office letter dated 14.07.2014 (placed at Sl.No. 268 of the circular segment of the website), dated 23.07.2014 placed at Sl.No. 289 of the circular segment of the website and dated 01.08.2014 (placed at Sl.No. 311 of the circular segment of the website) wherein field offices were directed to start preparatory activities pending issue of notification on the above subject.

2. Now, the Government of India, Ministry of Labour & Employment issued notifications enhancing statutory wage ceiling from existing Rs. 6,500/- to Rs. 15,000/- fixing minimum pension of Rs. 1000/- per month and 20% additional relief on the amount of assurance benefit admissible under EDLI Scheme, 1976. The copies of the said notifications are enclosed herewith.

3. All the Additional CPFCs (Zones) and all Regional PF Commissioners, In-Charge of Regional/Sub-Regional Offices are requested to ensure implementation of the said notifications in letter and spirit.

Enclosure : As above

Yours faithfully
Sd/-
(P.K. Udgata)
Additional Central PF Commissioner-I (Compllance)

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Ashish Guru,** Senior Vice President, **Rampada Paul** - Vice President (North),
Mukesh Kr. Aggarwal - Vice President (Delhi) and Co-ordinator Government Affairs, **B.L. Jaju** - Treasurer and Dir. Incharge and Finance Controller,
S.N. Ashraf - Jt. Secy. and Dir. Coordination, **Kulwant Singh Saini** - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - Hony. Secretary,
Bhuvesh Agarwal - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South),
Rakesh Garg - Co-ordinator Government and International Affairs

TOGETHER WE PROGRESS

सब प्रदेशों से हमें समाचार आ रहे है कि आलू की निकासी सन्तोषजनक चल रही है और आशा है कि 15 नवम्बर, तक शीतगृह पूर्णतयः खाली हो जायेंगे, केवल उन स्थानों को छोड़कर जहाँ पर शीतगृह पूरे नवम्बर या दिसम्बर माह तक चलते ही है और क्योंकि उनमें यहाँ भण्डारित आलू की माँग कुछ उन प्रदेशो से रहती है जो कि पुराना रखा हुआ आलू ही पसन्द करते हैं।

पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी अपने यहाँ आलू के निर्यात से प्रतिबन्ध हटा लिया है। यू छोटी मोटी बन्दिशे हो सकती हैं पर आलू के खुले मार्केट में बिकने पर रोक नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार भी किसी प्रकार की कोई रोक लगाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। शायद इस कारण से कि किसी भी प्रकार के नियन्त्रण से किसान वर्ग नाराज हो सकता है।

हरियाणा से हमें श्री कुलवंत सिह सैनी, डायरेक्टर इन्फार्मेशन एण्ड फिनैन्स फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया व अध्यक्ष, हरियाणा स्टेट कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने लिखा है कि 12.9.2014 से 22.9.2014 के बीच में आलू के भाव 850 रूपए से 1100 रूपए प्रति कुन्तल चले। आलू की निकासी 40 प्रतिशत तक अनुमानित है। हरियाणा से आलू पाकिस्तान व दिल्ली को जा रहा है। बीज के आलू के भाव 1100 से 1200 रूपए प्रति 50 किलो चल रहे हैं।

इस वर्ष आलू की अधिक बुआई और आलू का पाकिस्तान को निर्यात, आलू की बिक्री को कुछ ऊपर की ओर रखने में विशेष सहायक रहा। वैसे क्षमता से भण्डारण भी कम हुआ है।

India Cold Chain Expo ICE 2014 November 21, 22, 2014 YMCA Centre, Ahmedabad के आयोजन के बारे में :

हमने पिछले अंक में भी लिखा था कि यदि आप इस शो में जाना चाहते है तो India Cold Chain Expo द्वारा काफी सुविधाए दी गई है जिससे कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 20 सदस्यों के फ्री में ठहरने की व्यवस्था होगी व एक दिन का डिनर व लंच दिया जायेगा।

अन्य और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप श्री आशीष गुरू, अध्यक्ष, गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन व वरिष्ठ अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन्स ऑफ इण्डिया, केयर गुरू कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. 1, साबरमती इण्डस्ट्रियल जोन, अडानी सी.एन.जी. पम्प के सामने, अहमदाबाद पिन 380005 फोन मोबाइल 09825008550 ई–मेल guruashish@gmail.com से संपर्क कर लें। यहाँ यह बात अवश्य ध्यान रखें कि केवल बीस व्यक्तियों के फ्री में ठहरने का इंतजाम हो पाया है। अतः अपनी बुकिंग शीघ्र–अति–शीघ्र करा लें। बुकिंग के लिए आप अपना कोल्ड स्टोरेज का नाम व पता, ठहरने वालो के नाम श्री आशीष गुरू को लिख भेजें। यह ठहरने का इंतजाम 21 नवम्बर, 2014 की रात्रि के लिए होगा।

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

....

....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित